

24/3/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा को आदेश क्रमांक न्यायालय विधि 2025 / 42033 दिनांक 13-02-2025 की पालना में न्यायालय उपस्थित अधिकारी, भीलवाड़ा से पत्रावली उपरोक्त नाम ~~समस्त~~ ^{9 मं. 25} की सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है। यथावत कार्य / प्राप्ति सं. 25/3/25 को कार्यालय को आवेष्टानुसार प्रतिकारण की सुनवाई हेतु दिनांक 25/6/25 को पेश हो

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

25/6/25 श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपस्थित अधिकारी भीलवाड़ा में विधायकी राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1956 की धारा 53, 54, 52क, 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विधायकी लखनऊ रियासतपुर की पत्रावली अंतरित होकर बास्ते सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारणों को बास्ते सुनवाई तालव किया जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय उपस्थित अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जनहितार्थ राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1956 की धारा 216 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों में तद्विधि न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु केम्प कोर्ट दिनांक 25/6/25 तक ~~समस्त~~ पेश हो। पक्षकारण उपस्थित अनुपस्थित पत्रावली बास्ते सुनवाई दिनांक 25/6/25 को पेश हो।

उक्त प्रकरण में पेशकार सरकार राजा बागुल
श्री गाम देवली की आरखी नं. 747/36
अकबा 10 बीघा भूमि शंकर पुत्र देगा नलाई
मृतक के स्थान पर वदिवारा के नाम अरिफ
नामान्त (ग) संजय 1118 ति. दिनांक 30/4/2025
में दर्ज हो चुकी है। मतः वदी राजा अपेक्षित
अनुपेक्ष वदी को प्राप्त हो चुका है। मतः
वादज में किसी प्रकार की कार्रवाई शेष
नहीं होने से वदी का वाद खारिज किया
जाता है। निर्णय और स्वतंत्र सुनवाई
वादा पत्रावली फासल शुमार लेकर
दाखिल दाखल हो न्याय नम्बर ले कमलों

25/6/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा